इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328] भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 जुलाई 2017—आषाढ़ 12, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

आदेश

क्र. एफ.-बी-4-02-2017-2-पांच (15).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 25 के परन्तुक (क) के अधीन लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में संशोधन करती है तथा इसे अधिकतम 25 करोड़ रुपये के अध्यधीन रहते हुए नियत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्र. एफ.-बी-4-02-2017-2-पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-02-2017-2-पांच (15) दिनांक 3 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd July 2017

ORDER

No. F-B-4-02-2017-2-V(15).—In Exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, amends stamp duty chargeable on the instruments under proviso (a) of article 25 of Stamp Schedule 1A and makes it subject to a maximum of 25 crore rupees.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

आदेश

क्र. एफ.-बी-4-02-2017-2-पांच (16).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 37 के अधीन क्षतिपूर्ति बंधपत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 1000/- रुपये नियत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्र. एफ-बी-4-02-2017-2-पांच.(16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-02-2017-2-पांच (16) दिनांक 3 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd July 2017

ORDER

No. F-B-4-02-2017-2-V(16).—In Exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, fixes stamp duty chargeable on the indemnity bonds under article 37 of Stamp Schedule 1A to Rs. 1000/- rupees.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

आदेश

क्र. एफ.-बी-4-02-2017-2-पांच (17).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 54 (एक) के अधीन कुटुम्ब के सदस्य के पक्ष में निर्मुक्ति की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के उस अंश, जिस पर दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, का 0.5 प्रतिशत तय करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्र. एफ-बी-4-02-2017-2-पांच (17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-02-2017-2-पांच (17) दिनांक 3 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd July 2017

ORDER

No. F-B-4-02-2017-2-V(17).—In Exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, fixes the stamp duty chargeable under aritcle 54(1) of Stamp schedule 1A of the instrument of release in favour of family member, to 0.5 percent on the consideration amount or market value of the share of the property over which the claim is relinquished, whichever is higher.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.